यायालय–नीलाम पत्र पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी।

–:: आदेश ::–

नी0प0मु0सं0–68 / 2000–01

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,
नातुण्डी शाखा, बोकारो
बनाम्
नन्दलाल रजवार, पिता–स्व0 मागा राम रजवार,
ग्राम–दलाही, पो0–कोड़ीया,
चन्दनकियारी, बोकारो।

17.01.2025 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, **नातुण्डी शाखा**, बोकारो के द्वारा कुल राशि–4169.00 रू0 देनदार **नन्दलाल रजवार, पिता–मागा राम रजवार, ग्राम–दलाही,पो0–कोड़ीया, चन्दनकियारी, बोकारो** से वसूली करने हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने हेतु अधियाचना की गई थी। तदुपरांत उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली हेतु न्यायालय के द्वारा देनदार के विरुद्ध नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला प्रतिवेदन कार्यालय को प्राप्त हैं। इस वाद कि सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक–21.04.2023 एवं दिनांक–06.05.2023 को तिथि निर्धारित कि गई थी। परन्तु देनदार एवं अधियाची पदाधिकारी दोनो हि उक्त तिथियो मे न्यायालय मे अनुपस्थित थे। इसके बाद भी कई बार न्यायालय के द्वारा तिथि निर्धारित कि गई थी परन्तु एक बार भी देनदार एवं अधियाची पदाधिकारी उपस्थित नही हुए इससे प्रतित होता है कि अधियाची पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाद मे कोई रूची नही ली जा रही है, इस कारण उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली कि दिशा मे कोई अग्रेतर कार्रवाई नही हो पा रही है

अतः उक्त के आलोक में अधियाची पदाधिकारी/प्रथम पक्ष के द्वारा अधियाचित राशि वसूली की दिशा में अभिरूचि नही लेने के कारण **बिहार एवं उडीसा लोक मॉग वसूली अधिनियम 1914 की धारा–53(II)** के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।
ह0/–
अंचल अधिकारी–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

ह0/–
अंचल अधिकारी–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

ज्ञापांक 79 **/चन्दनकियारी, दिनांक** 17/01/2025

प्रतिलिपिः– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नातुण्डी शाखा, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/25
अंचल अधिकारी–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

Digitally signed by RAVI KUMAR ANAND
Date: 2025.01.17 18:17:10 +05:30
Location: 10.93.136.37